105 8/17
16/11/2017

प्रारूप क्रमांक 1
(देखिये नियम 3)
समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

आवेदन क्रमांक : S74501046053111020177

अनुमोदन दिनांक : 12 Oct 2017

1.	The Name of the society shall be जय जगदम्बे एजुकेशन सोसायटी होगा।
2	The Head office of the Society shall be situated at शिव मंदिर के पास मकान नं. 103 वार्ड नं. 07 ग्राम- पड़ैनिया खुर्द पोस्ट- पड़ैनिया 486661 तहसील Gopdbnas जिला Sidhi मध्य प्रदेश में स्थित होगा। सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 9617961749 ईमेल आईडी dharamvijay05@gmail.com
3	The objects of the society shall be as under :-

1	सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्क्रमों का संचालन करना ,विद्यालयों की स्थापना कर उसमें आई टी आई , पोलीटेक्निक, इंजीनियरिंग, डी एल एड, बी एड , उच्च शिक्षा पैरामेडिकल प्रशिक्षण कम्प्यूटर विद्यालय एवं महाविद्यालयों एवं मेडिकल की शिक्षा प्रदान करना एवं स्थापना व संचालन करना।
2	महिलाओं में स्वास्थ्य कल्याण, प्रजनन नियोजन, बाल्य पुष्टाहार गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं तथा उनके माताओं का संरक्षण तथा उनके विकास के लिए कार्यक्रम चलाना, तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण का क्रियान्वयन करना एवं जैसी योजनाओं का संचालन करना।
3	महिलाओं के लिए संस्था के द्वारा प्रशिक्षण संबंधी समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना तथा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सिलाई, कढ़ाई, बुनलाई, फैशन डिजाइन, ड्रास आदि का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
4	महिला सशक्तीकरण एवं उत्थान करना तथा महिला बाल विकास के माध्यम से रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलाना एवं कार्य कराना एवं महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु तथा सामाजिक चेतना एवं ग्रामीण विकास हेतु प्रयास करना।
5	समाज में हो रहे अत्याचार, बाल विवाह, विधवा विवाह को प्रोत्सहन, दहेज प्रथा आदि के रोकथाम के लिए अभियान चलाना जन जागरूकता स्थापित करना तथा समय-समय पर शासन को अवगत कराना।
6	राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा संस्थाओं को दी जाने वाली वरीयताओं एवं सहायताओं सहयोग आदि को प्राप्त करके उनके कार्यक्रमों योजनाओं का प्रचार-प्रसार,शासन की योजनाओं के अनुरूप निविदा आधरित कार्यक्रमों सभी तरह के रचनात्मक कार्यों को क्रियान्वयन करने में मदद करना इससे क्षेत्रीय जनता के मदद करने के साथ-साथ सरकार अपनी नीतियों में सफल हो सके।
7	समाज के असहाय, अनाथ, वृद्ध निराश्रित वर्ग एवं विकलांगो के लिये आश्रय केन्द्रों की स्थापना व्यवस्था व संचालन करना।
8	एड्स जागरूकता, सुधार परामर्श एवं निर्देशक कार्य हेतु एवं अन्य महामारी बिमारियों के लिए राष्ट्रीय हित (मलेरिया, पोलियो तथा अन्य बिमारियों) के कार्यक्रम को संचालन करना एवं जागरूकता लाना।
9	नशा मुक्ति, परिवार परामर्श, स्वास्थ्य एवं खेल से संबंधित केन्द्र की स्थापना करना एवं सामाजिक उत्थान तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों, जाति एवं भेदभाव को जन चेतना शिविर के माध्यम से दूर करें।
10	शौचालय बनावने, बेटी बचाओ बेटी बढाओ, स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं समग्र स्वच्छता के कार्यक्रमों का संचालन करना।
11	आपातकालीन समय में रोड एक्सीडेन्ट में लोगों की मदद करना,बाढ पीडितों की सहायता एवं प्राथमिक आपदाओं के समय राहत एवं पुर्नवास सुविधाओं के द्वारा कार्यों में मदद करना।
12	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में समायोजन कर महिलाओं व निर्बल वर्ग के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी टेक्नोलोजी को सुलभ करवाना।
13	महिलाओं के लिए अन्याय, अत्याचार एवं अमानवीय कृत्य के विरूद्ध कदम उठाना, दहेज प्रथा, नारी शोषण, बाल विवाह,यौन पीडित महिलाओं की सहायता एवं उन्हें [illegible] शिक्षा एवं अन्य सामाजिक बुराईयों के विरूद्ध, पुलिस पंचायत एवं जन समुदाय के बीच परिसंवाद तथा भयमुक्त समाज निर्माण पर जागरूकता करना शिविर, कार्यशाला, वर्कशाप का आयोजन कराना।

4\. The management of affairs of the society is entursted by the Regulations of the society to the Governor , Council of Directors, Committee or Governing Body, Whose names, addresses and occupation are specified below :-

S.No	Name	Father/Husband Name	Designation	Full Address	Occupation
1	श्री धर्मेन्द्र सिंह परिहार	पिता श्री राजबहोरन सिंह परिहार	अध्यक्ष	मकान नं. 103 वार्ड नं. 07, ग्राम- पड़ैनिया खुर्द पोस्ट- पड़ैनिया, Gopdbnas, Sidhi, Madhya Pradesh	गैस एर्जेसी
2	श्री वीरभद्र सिंह परिहार	पिता श्री बुद्धिसेन सिंह परिहार	उपाध्यक्ष	मकान नं. 103 वार्ड नं. 07, ग्राम- पड़ैनिया खुर्द पोस्ट- पड़ैनिया, Gopdbnas, Sidhi, Madhya Pradesh	गैस एर्जेसी
3	श्री धर्म विजय सिंह परिहार	पिता श्री धर्मेन्द्र सिंह परिहार	सचिव	मकान नं. 103 वार्ड नं. 07, ग्राम- पड़ैनिया खुर्द पोस्ट- पड़ैनिया, Gopdbnas, Sidhi, Madhya Pradesh	व्यवसाय
4	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान	पिता श्री थानेश्वर सिंह चौहान	कोषाध्यक्ष	मकान नं. 214 वार्ड नं. 14, ग्राम- हटवा पोस्ट- परसवार, , Sidhi, Madhya Pradesh	नौकरी
5	श्री मुनीन्द्र प्रताप सिंह	पिता श्री फणीन्द्र प्रताप सिंह	संयुक्त सचिव	मकान नं. 103 वार्ड नं. 07, ग्राम- पड़ैनिया खुर्द पोस्ट- पड़ैनिया, Gopdbnas, Sidhi, Madhya Pradesh	ठेकेदार
6	श्री अनुराग सिंह परिहार	पिता श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह परिहार	सदस्य	मकान नं. 103 वार्ड नं. 07, ग्राम- पड़ैनिया खुर्द पोस्ट- पड़ैनिया, Gopdbnas, Sidhi, Madhya Pradesh	डेयरी फार्म
7	श्रीमती शकुन्तला सिंह परिहार	पति श्री धर्मेन्द्र सिंह परिहार	सदस्य	मकान नं. 103 वार्ड नं. 07, ग्राम- पड़ैनिया खुर्द पोस्ट- पड़ैनिया, Gopdbnas, Sidhi, Madhya Pradesh	गृहणी

5\. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

S.No	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	श्री धर्मेन्द्र सिंह परिहार , पिता श्री राजबहोरन सिंह परिहार, मकान नं. 103 वार्ड नं. 07, ग्राम- पड़ैनिया खुर्द पोस्ट- पड़ैनिया, Gopdbnas, Sidhi, Madhya Pradesh	
2	श्री वीरभद्र सिंह परिहार , पिता श्री बुद्धिसेन सिंह परिहार, मकान नं. 103 वार्ड नं. 07, ग्राम- पड़ैनिया खुर्द पोस्ट- पड़ैनिया, Gopdbnas, Sidhi, Madhya Pradesh	
3	श्री धर्म विजय सिंह परिहार , पिता श्री धर्मेन्द्र सिंह परिहार, मकान नं. 103 वार्ड नं. 07, ग्राम- पड़ैनिया खुर्द पोस्ट- पड़ैनिया, Gopdbnas, Sidhi, Madhya Pradesh	
4	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान , पिता श्री थानेश्वर सिंह चौहान, मकान नं. 214 वार्ड नं. 14, ग्राम- हटवा पोस्ट- परसवार, , Sidhi, Madhya Pradesh	
5	श्री मुनीन्द्र प्रताप सिंह , पिता श्री फणीन्द्र प्रताप सिंह, मकान नं. 103 वार्ड नं. 07, ग्राम- पड़ैनिया खुर्द पोस्ट- पड़ैनिया, Gopdbnas, Sidhi, Madhya Pradesh	
6		

Scanned by CamScanner

	श्री अनुराग सिंह परिहार , पिता श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह परिहार, मकान नं. 103 वार्ड नं. 07, ग्राम- पड़ैनिया खुर्द पोस्ट- पड़ैनिया, Gopdbnas, Sidhi, Madhya Pradesh	ASingh
7	श्रीमती शकुन्तला सिंह परिहार , पति श्री धर्मेन्द्र सिंह परिहार, मकान नं. 103 वार्ड नं. 07, ग्राम- पड़ैनिया खुर्द पोस्ट- पड़ैनिया, Gopdbnas, Sidhi, Madhya Pradesh	
6.	हम निम्नानुसार पदाधिकारी / सदस्य आदर्श उप-विधियों प्रारूप-एक क को सोसाइटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं। (अध्यक्ष) (सचिव) (कोषाध्यक्ष/सदस्य) दिनांक 16.10.2017	

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे
चालान क्रमांक SBIN00061591475111020175520 7
नियमावली
पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी
पहचान पत्र के लिये Voters Identity Card — पहचान पत्र का क्रमांक NVA0399774
पदाधिकारी के पता की जानकारी
पता के लिये Voters Identity card — पते का क्रमांक NVA0399774
Uploaded ID Proof
Uploaded Address Proof

साक्षी:-
हस्ताक्षर - Amar
साक्षी का नाम :- श्री अमर सिंह
साक्षी का पिता/पति:- पिता श्री जगतपाल सिंह
पूर्ण पता :- बार्ड नं. 07 ग्राम/पोस्ट- पड़ैनिया
तहसील- गोपदबनास जिला- सीधी मध्यप्रदेश

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा-शहडोल संभाग रीवा

16/10/2017

(डी.आर. बसंत)
प्रभारी सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाऐ, रीवा-शहडोल, संभाग रीवा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH AR 776236

कार्यालय ... फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा-शहडोल, संभाग रीवा

13988
17/10/17

16/11/2017

(डी.आर. बसंत)
प्रभारी सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाऐ, रीवा-शहडोल, संभाग रीवा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

1058/17
16/11/2017

नियमावली

आवेदन क्रमांक : S7450104605311102017 **अनुमोदन दिनांक : 12 Oct 2017**

1.	The Name of the society shall be जय जगदम्बे एजुकेशन सोसायटी होगा।
2.	The Head office of the Society shall be situated at शिव मंदिर के पास मकान नं. 103 वार्ड नं. 07 ग्राम- पड़ैनियाखुर्द पोस्ट-पड़ैनिया 48666। तहसील गोपदबनास जिला सीधी मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
4.	**The objects of the society shall be as under :-**
1	सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्क्रमों का संचालन करना ,विद्यालयों की स्थापना कर उसमें आई.टी.आई., पोलीटेक्निक, इंजीनियरिंग, डी.एल.एड, बी.एड. ,उच्च शिक्षा पैरामेडिकल प्रशिक्षण कम्प्यूटर विद्यालय एवं महाविद्यालयों एवं मेडिकल की शिक्षा प्रदान करना एवं स्थापना व संचालन करना।
2	महिलाओं में स्वास्थ्य कल्याण, प्रजनन नियोजन, बाल्य पुष्टाहार गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं तथा उनके माताओं का संरक्षण तथा उनके विकास के लिए कार्यक्रम चलाना, तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण का क्रियान्वयन करना एवं जैसी योजनाओं का संचालन करना।
3	महिलाओं के लिए संस्था के द्वारा प्रशिक्षण संबंधी समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना तथा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सिलाई, कढाई, बुनलाई, फैशन डिजाइन, डांस आदि का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
4	महिला सशक्तिकरण एवं उत्थान करना तथा महिला बाल विकास के माध्यम से रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलाना एवं कार्य कराना एवं महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु तथा सामाजिक चेतना एवं ग्रामीण विकास हेतु प्रयास करना।
5	समाज में हो रहे अत्याचार, बाल विवाह, विधवा विवाह को प्रोत्सहन, दहेज प्रथा आदि के रोकथाम के लिए अभियान चलाना जन जागरूकता स्थापित करना तथा समय-समय पर शासन को अवगत कराना।
6	राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा संस्थाओं को दी जाने वाली वरीयताओं एवं सहायताओं सहयोग आदि को प्राप्त करके उनके कार्यक्रमों योजनाओं का प्रचार-प्रसार,शासन की योजनाओं के अनुरूप निविदा आधरित कार्यक्रमों सभी तरह के रचनात्मक कार्यो को क्रियान्वयन करने में मदद करना इससे क्षेत्रीय जनता के मदद करने के साथ-साथ सरकार अपनी नीतियों में सफल हो सके।
7	समाज के असहाय, अनाथ, वृद्ध निराश्रित वर्ग एवं विकलांगो के लिये आश्रय केन्द्रों की स्थापना व्यवस्था व संचालन करना।
8	एड्स जागरूकता, सुधार परामर्श एवं निर्देशक कार्य हेतु एवं अन्य महामारी बिमारियों के लिए राष्ट्रीय हित (मलेरिया, पोलियो तथा अन्य बिमारियों) के कार्यक्रम को संचालन करना एवं जागरूकता लाना।
9	नशा मुक्ति, परिवार परामर्श, स्वास्थ्य एवं खेल से संबंधित केन्द्र की स्थापना करना एवं सामाजिक उत्थान तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों, जाति एवं भेदभाव को जन चेतना शिविर के माध्यम से दूर करें।
10	शौचालय बनावने, बेटी बचाओं बेटी बढ़ाओं, स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं समग्र स्वच्छता के कार्यक्रमों का संचालन करना।
11	आपातकालीन समय में रोड एक्सीडेन्ट में लोगों की मदद करना,बाढ़ पीड़ितों की सहायता एवं प्राथमिक आपदाओं के समय राहत एवं पुर्नवास सुविधाओं के द्वारा कार्यो में मदद करना।
12	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में समायोजन कर महिलाओं व निर्बल वर्ग के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी टेक्नोलोजी को सुलभ करवाना।
13	महिलाओं के लिए अन्याय, अत्याचार एवं अमानवीय कृत्य के विरूद्ध कदम उठाना, दहेज प्रथा, नारी शोषण, बाल विवाह,यौन पीड़ित महिलाओं की सहायता एवं उन्हें न्याय दिलाना एवं अन्य सामाजिक बुराईयों के विरूद्ध, पुलिस/पंचायत एवं जन समुदाय के बीच परिसंवाद तथा भयमुक्त समाज निर्माण पर जागरूकता करना/शिविर, कार्यशाला, वर्कशाप का आयोजन कराना।
5.	**सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगेः-**
	(अ) संरक्षक सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपये 1000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार ... शहडोल

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

	(ब) आजीवन सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।
	(स) साधारण सदस्यः वह व्यक्ति जो रुपए 10/- प्रतिमाह या रुपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा।
	(द) अवैतनिक सदस्यः सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग से सकते हैं, परंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।
6.	**सदस्यता की प्राप्ति-**प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा| ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।
7.	**सदस्यों की योग्यता-** संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:- 1. आयु 18 वर्ष से कम न हो। 2. भारतीय नागरिक हो। 3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो। 4. सदगुणी हो तथा मधपान न करता हो।
8.	**सदस्यता की समाप्ति-** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:- 1. मृत्यु हो जाने पर। 2. पागल हो जाने पर। 3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर। 4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर। 5. चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।
9.	**संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-** 1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर 2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर। 3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
10.	**(अ) साधारण सभा-** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा। **(ब)प्रबंधकारिणी सभा-** प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी। **(स) विशेष-** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।
11.	**साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः-** (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना। (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पति की ठीक व्यवस्था करना। (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना। (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो। (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना। (छ) बजट का अनुमोदन करना।
12.	**प्रबंधकारिणी का गठन-** नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा। (1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -2

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

13.	**प्रबंध समिति का कार्यकाल-** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।
14.	**प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य-** (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना। (ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना। (स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना। (द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना। (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए। (च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी। (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाऐगी।
15.	**अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सभा द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।
16.	**उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17.	सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।
18.	**संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा
19.	**कोषाध्यक्ष के अधिकार-** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
20.	**बैंक खाता-** सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जावेगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।
21.	**पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी-** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयो को परीक्षित लेखा भेजेगी।
22.	**संशोधन-** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/ 3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
23.	**विघटन-** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/ 5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
24.	**सम्पति-** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
25.	**पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना-** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।
26.	**विवाद-** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।
	हस्ताक्षर अध्यक्ष हस्ताक्षर सचिव हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष

16/11/2017

(डी.आर. बसंत)
प्रभारी सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाऐ, रीवा-शहडोल, संभाग रीवा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner